

## न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा  
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या  
मैनुअल नं.54/प्रा.पत्र/2024  
( GCMS No. 2024 / 196 )

तारीख दायरा  
21.10.2024

तारीख निर्णय  
23.12.2024

बबलू आ. जलालुद्दीन जाति मुसलमान,  
निवासी शंकर उद्योग के पास, नैनवां रोड बून्दी, जिला बून्दी  
— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार बून्दी।

— रेस्पोजेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित—

अपीलान्त की ओर से श्री महेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट।  
रेस्पोजेन्ट की ओर से परोकार सरकार।

### निर्णय

यह अपील अपीलांत ने तहसीलदार, बून्दी द्वारा मिसल संख्या 495/2024 में पारित आदेश दिनांक 12.08.2024 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। जिसमें अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को विधिविरुद्ध बताते हुये निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 54/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/196 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पोजेन्ट जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

रेस्पोजेन्ट की ओर से परोकार सरकार उपस्थित आये है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त हुई। तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक नोटिस खसरा सं. 407/282 रकबा 0.0769 हैक्टयर के बाबत दिया गया, जिसका जवाब प्रस्तुत किया गया। राजस्व नक्शों के मुताबिक जिस खसरा नम्बर का नोटिस दिया गया है उस खसरा नंबर पर अपीलान्ट काबिज नहीं है बल्कि अपीलान्ट पूर्व के समय के खसरा नम्बर पर ही काबिज है। जवाब प्रस्तुत कर पटवारी हल्का से जिरह की गयी जिसका संक्षिप्त रूप से सार यह है कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट से पूर्व उनके पूर्वज नसीर वल्द मोहम्मद मुसलमान गद्दी काबिज थे जिसे लगभग 40 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है। नसीरजी के पश्चात उनके पांच पुत्र जलागुद्दीन, निजामुद्दीन, बाबूदीन, अहमद हुसैन, कयामुद्दीन उक्त सभी संयुक्त रूप से उक्त भूमि पर काबिज कारत रहे और अपने उपयोग में लेते आ रहे है। उक्त भूमि पर सभी के द्वारा दो पक्के मकान, टीनशेड, मवेशियों के बांधने के छपरे, बोरिंग व बिजली का कनेक्शन लगाया हुआ है, बाउण्ड्री हो रही है, मवेशियों के लिए टीनशेड के नीचे पानी पिलाने की खेल बनी हुई है जिसे काफी समय हो गया है, सुविधा की दृष्टि से परिवार के बच्चे अलग-अलग रह रहे है जिनमें अपीलान्ट भी एक है। उपनिवेशन अधिनियम के अनुसार दिनांक 01.05.1988 से पूर्व काबिज व्यक्ति भूमि को नियमन करवाने का अधिकारी है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन करने के पश्चात भी नियमन की बात पर विचार नहीं करके दिनांक 12.08.2024 को उक्त निर्णय सुना दिया गया, जो विधिविरुद्ध होने से खारिज किया जावे। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह सरकारी सिवायक भूमि है, जिस पर अपीलान्ट द्वारा चार दीवारी निर्माण कर अतिचार करने की पुष्टि रिपोर्ट हल्का पटवारी से होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि अपीलान्ट ने भूमि खसरा संख्या 407/282 रकबा 0.0769 हैक्टयर किस्म सिवायक वाके ग्राम बहादुरपुरा पर संवत् 2081 मौसम खरीफ में पक्की चार दीवारी बनाकर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिकमी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के तहत कार्यवाही करते हुए बेदखली तथा 63/—रू. शास्ति से दण्डित किया गया है।



अपीलान्ट द्वारा यहां आपत्ति पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का विवादित भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से ही पुराना कब्जा होने के बावजूद भी भूमि नियमन की कार्यवाही नहीं की जाकर बेदखली का आदेश पारित कर दिया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। उक्त भूमि नियमन किये जाने बाबत अपीलांट की ओर से कोई कार्यवाही की गई हो, ऐसा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट ने अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में सारगर्भित साक्ष्य न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है और न ही इस न्यायालय में पेश की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के नियमन का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपीलांट की ओर से अपने कब्जे के संबंध में उक्त भूमि पर स्वाभित्त्व बाबत विधिक दस्तावेज पेश नहीं किये गये। जिसके अभाव में अपीलान्ट को विवादित भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ऐसे में राजकीय सिवायचक भूमि पर बिना विधिक अधिकार के अपीलांट द्वारा अतिचार किये जाने पर विधिक प्रावधानों की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई शास्ती एवं बेदखली की कार्यवाही में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर समस्त तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो न्यायोचित है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23-12-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गौदार)   
जिला कलक्टर बून्दी

